NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 18-03-2025

विषय सूची

रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर $1 बिलियन का फंड
CAG नियुक्ति प्रक्रिया पर याचिका
भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता
भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी
इसरो ने SpaDeX सैटेलाइट को डॉक किया
भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोग बढ़ाने पर सहमत

संक्षिप्त समाचार

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध विषयगत सर्किट
भिवंडी में पहला छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर
भारत में सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण
केसर
पुनर्बीमा(Reinsurance)
भारत का वस्तु व्यापार घाटा
गेहूँ उत्पादन चक्र पर हीट वेव का प्रभाव
जल की बूंदों में 'माइक्रोलाइटनिंग'
पाई (π) दिवस

रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर $1 बिलियन का फंड

संदर्भ

- सरकार ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए 1 बिलियन डॉलर का कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है।
  - और, लगभग 400 करोड़ के कोष से मुंबई में प्रथम भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) स्थापित किया जा रहा है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्या है?

- ऑरेंज इकॉनमी के नाम से भी जानी जाने वाली रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक ज्ञान-संचालित आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करती है, जहाँ रचनात्मकता और बौद्धिक पूँजी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इसमें शामिल हैं:
  - रचनात्मकता के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, उत्पादन और वितरण।
  - फिल्म, संगीत, फैशन, गेमिंग, सॉफ्टवेयर विकास और विज्ञापन जैसे उद्योगों में बौद्धिक संपदा का मुद्रीकरण।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **ज्ञान-आधारित आर्थिक गतिविधि:** रचनात्मकता शिक्षा, प्रशिक्षण या विरासत में मिले पारंपरिक कौशल के माध्यम से विकसित होती है।
  - **मौलिकता और बौद्धिक संपदा:** कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के माध्यम से विचारों का मुद्रीकरण।
  - **प्रौद्योगिकी के लिए अनुकूलता:** AI, स्वचालन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ निरंतर विकास।
  - **सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य शृंखला:** विचारों को वाणिज्यिक उत्पादों और सेवाओं में बदल दिया जाता है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- **आर्थिक योगदान:**
  - **वैश्विक राजस्व और रोजगार सृजन:** गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि वैश्विक बाजार 2023 में $250 बिलियन से बढ़कर 2027 तक $480 बिलियन हो जाएगा और विश्व भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा
  - **निर्यात क्षमता:** बॉलीवुड, IT सेवाओं, फैशन और हस्तशिल्प सहित भारतीय रचनात्मक क्षेत्रों में बहुत बड़ा निर्यात बाजार है।
  - **स्पिलओवर प्रभाव:** आतिथ्य, पर्यटन और खुदरा क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव:**
  - **युवा और महिला सशक्तीकरण:** रचनात्मक अर्थव्यवस्था की 23% रोजगार 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के पास हैं, और महिलाएँ 45% रचनात्मक व्यवसायों पर आधिपत्य करती हैं।
  - **सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर:** भारतीय सिनेमा, व्यंजन, योग और साहित्य वैश्विक प्रभाव को बढ़ाते हैं।
  - **स्थायित्व और हरित अर्थव्यवस्था:** रचनात्मकता प्राकृतिक शोषण के बजाय बौद्धिक संसाधनों पर निर्भर करती है।
- **नवाचार और प्रौद्योगिकी में भूमिका:**
  - **स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देता है:** YouTubers, सामग्री निर्माता और AI-संचालित कला का विकास।
  - **तकनीकी प्रगति का समर्थन:** AI और आभासी वास्तविकता (वी.आर.) कला, गेमिंग और इमर्सिव अनुभवों को फिर से परिभाषित करते हैं।

चुनौतियाँ

- **डिजिटल और बुनियादी ढाँचे में कमी:**
  - **सीमित ग्रामीण डिजिटल पहुँच:** ग्रामीण भारत के केवल 41% हिस्से में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो डिजिटल सामग्री निर्माण को सीमित करता है।
  - **साइबर सुरक्षा जोखिम:** डिजिटल परिसंपत्तियों, NFTs और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए खतरा।
- **आर्थिक और नीतिगत बाधाएँ:**
  - **कमज़ोर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** भारत में पेटेंट प्रक्रिया में 58 महीने लगते हैं, जबकि चीन में 20 महीने लगते हैं।

- **बाजार विखंडन:** रचनात्मक उत्पादों के लिए संगठित उद्योग संरचना और वितरण प्लेटफ़ॉर्म की कमी।
- **वित्त तक सीमित पहुँच:** रचनात्मक क्षेत्र में कुछ MSMEs और स्टार्टअप को औपचारिक ऋण या निवेश मिलता है।
- **सामाजिक और करियर बाधाएँ:**
  - **पारंपरिक करियर प्राथमिकताएँ:** चिकित्सा या इंजीनियरिंग की तुलना में रचनात्मक क्षेत्रों को अस्थिर माना जाता है।
  - **जागरूकता और मान्यता की कमी:** भारत के सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों की सीमित वैश्विक ब्रांडिंग।

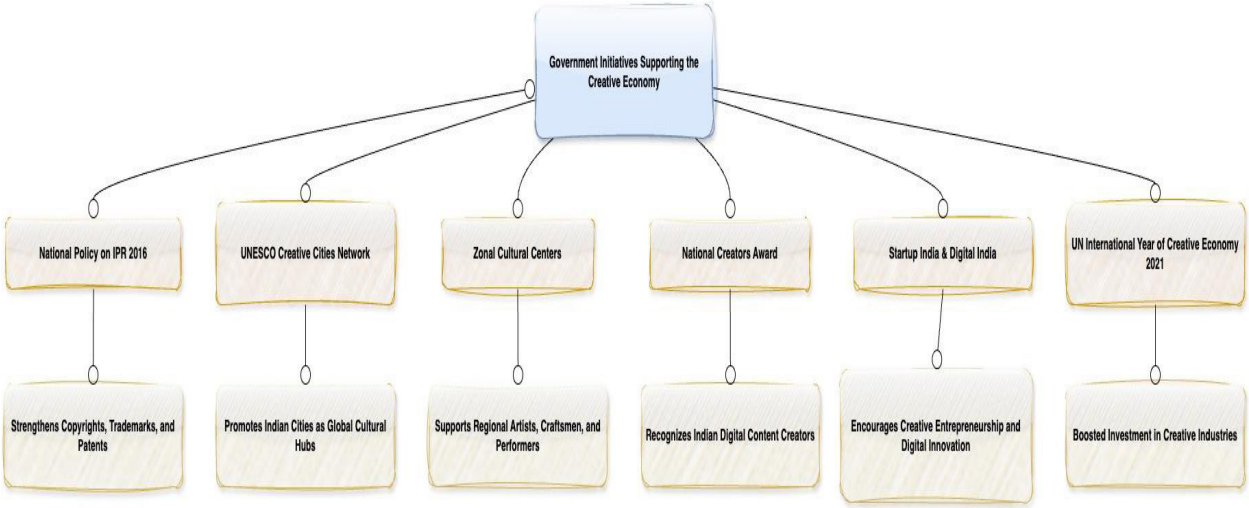

आगे की राह: भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

- **भारतीय संस्कृति का वैश्विक स्तर पर विस्तार:** व्यापार मेलों और सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फिल्मों, कलाओं और फैशन को बढ़ावा देना।
  - हस्तशिल्प, डिजिटल कला और एनिमेशन के निर्यात को बढ़ावा देना।
- **वित्तीय और नीतिगत सहायता:** रचनात्मक MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी और क्राउडफंडिंग पोर्टल लॉन्च करना।
  - डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और गेम डेवलपर्स के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **बौद्धिक संपदा संरक्षण को मजबूत करना:** रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए तेज़ पेटेंट और कॉपीराइट प्रोसेसिंग।
- **क्रिएटिव हब और जिले स्थापित करना:** स्थानीय कलाकारों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में क्रिएटिव जिले विकसित करना।
- **कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा:** उच्च शिक्षा में डिजिटल डिज़ाइन, AI और डिजिटल मार्केटिंग पाठ्यक्रमों को एकीकृत करना।
- **AI और उभरती हुई प्रौद्योगिकी शासन:** डिजिटल कला, संगीत और सामग्री के लिए AI-आधारित कॉपीराइट नीतियाँ विकसित करना।
  - डिजिटल क्रिएशन और NFT को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना।

Source: IE

CAG नियुक्ति प्रक्रिया पर याचिका

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य करने वाले केंद्र के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के एकमात्र विशेषाधिकार को चुनौती देने वाली याचिका की जाँच कर रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

- संघ, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय जवाबदेही की देखरेख में CAG की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 148:** CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे केवल उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
    - CAG के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं और एक बार नियुक्त होने के बाद उन्हें उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है।
    - पद छोड़ने के बाद CAG किसी भी अन्य पद के लिए अयोग्य है।
  - **अनुच्छेद 149:** CAG कानून द्वारा निर्धारित अनुसार संघ और राज्यों दोनों के खातों की लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
    - यह संविधान के अधिनियमन से पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा पहले निभाई गई जिम्मेदारियों को जारी रखता है।
  - **अनुच्छेद 150:** संघ और राज्यों के खातों को रखने का प्रारूप CAG की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।
  - **अनुच्छेद 151:** संघ के खातों पर CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें संसद के समक्ष रखा जाए।
    - राज्य के खातों के लिए, रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।
  - **अनुच्छेद 279:** CAG करों और शुल्कों की "शुद्ध आय" को प्रमाणित करता है, और इसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।

हाल के मुद्दे और चिंताएँ

- एक तर्क यह है कि कैग की कार्यकारी-नियंत्रित नियुक्ति प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन करती है।
  - कार्यकारिणी कैग की स्वतंत्रता पर नियंत्रण कर सकती है, जिससे एक तटस्थ, वस्तुनिष्ठ प्रहरी के रूप में इसकी भूमिका कमज़ोर हो जाती है।
- हाल ही में कैग के काम से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें ऑडिट में देरी, केंद्र सरकार के ऑडिट में गिरावट और भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं।
- यह चुनौती हाल ही में कैग की उन रिपोर्टों के बीच उत्पन्न हुई है, जिनमें सार्वजनिक निधि प्रबंधन में अनियमितताओं को उजागर किया गया है, जैसे कि दिल्ली की आबकारी नीति और उत्तराखंड के प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन से संबंधित अनियमितताएँ।
  - इन रिपोर्टों ने कैग और कार्यकारी के बीच तनाव को भी जन्म दिया है, विशेष रूप से रिपोर्टों के समय और प्रस्तुतिकरण को लेकर।

प्रस्तावित सुधार

- CAG और कार्यपालिका के बीच तनाव को दूर करने के लिए प्रस्तावों में CAG के लिए एक अलग चयन समिति की स्थापना करना शामिल है।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना और बहु-सदस्यीय निकाय को शामिल करने के लिए लेखापरीक्षा संरचना में सुधार करना।
- इसके अतिरिक्त, आलोचकों ने सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे संघीय देशों की तरह राज्यों के लिए अलग-अलग लेखापरीक्षा निकाय बनाने से प्रणाली में सुधार करने में सहायता मिल सकती है।
- ऐसे सुझाव भी हैं कि राष्ट्रपति को गैर-पक्षपाती चयन समिति के परामर्श से CAG की नियुक्ति करनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।

निष्कर्ष

- भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में CAG एक महत्त्वपूर्ण संस्था बनी हुई है, लेकिन वर्तमान मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इसकी संवैधानिक अनिवार्यता का सम्मान करते हुए इसकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करे।

Source: TH

भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

- भारत में मतदाता धोखाधड़ी, राजनीति का अपराधीकरण और धन-बल के प्रभाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है।

वर्तमान चुनाव प्रणाली में प्रमुख चुनौतियाँ

- **राजनीति का अपराधीकरण:** बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक प्रणाली की अखंडता पर चिंता उत्पन्न हो रही है।

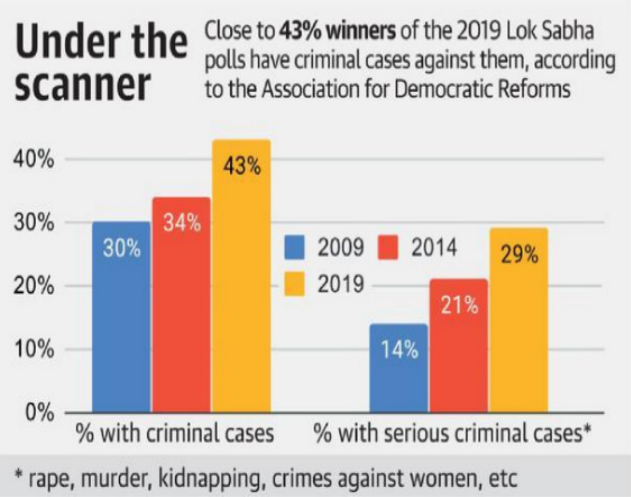

  - एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, सांसदों और विधायकों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं।
- **धन-शक्ति का प्रभाव:** अत्यधिक चुनावी व्यय और राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है।
  - अभियान वित्तपोषण में व्यय को सीमित करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।
- **मतदाता धोखाधड़ी और मतदाता सूची के मुद्दे:** डुप्लिकेट मतदाता पहचान-पत्र और मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप मतदाता सूचियों की अखंडता को बनाए रखने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:** यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक मतिंग मशीन (EVMs) और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPATs) ने दक्षता बढ़ाई है, उनकी सुरक्षा और पारदर्शिता के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।
  - सुधार सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके इन मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं।
- **अनुचित अभियान अभ्यास:** अभियान के दौरान विभाजनकारी बयानबाजी, झूठे दावे और जाति या सांप्रदायिक पहचान की अपील का उपयोग लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है।
  - नैतिक अभियान सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है।
- **फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम (FPTP) और प्रतिनिधित्व के मुद्दे:** भारत FPTP प्रणाली का पालन करता है, जहां सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, भले ही उसे पूर्ण बहुमत न मिले।
  - इससे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ केवल 30-40% मतों से जीतने वाला उम्मीदवार पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे सच्चे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **परिसीमन और प्रतिनिधित्व:** इसने क्षेत्रों के बीच, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों के बीच राजनीतिक सत्ता में संभावित बदलावों के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कीं।

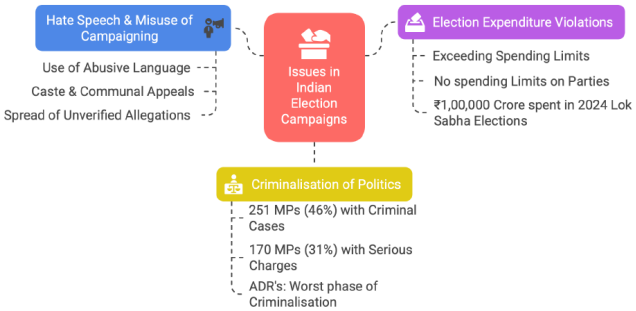

भारत में हाल के प्रमुख चुनाव सुधार

- **52वाँ संशोधन अधिनियम (1985):** दलबदल विरोधी कानून और संविधान में दसवीं अनुसूची की शुरूआत, जिसका उद्देश्य दलबदल करने वालों को सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य ठहराकर राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना था।

- **91वां संविधान संशोधन अधिनियम (2003):** इसका उद्देश्य मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित करके और दलबदल विरोधी कानूनों को लागू करके राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना था।

- **61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार करना।

- **73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992):** पंचायतों को संस्थागत बनाकर, प्रत्यक्ष चुनाव सुनिश्चित करके और हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के ज़रिए स्थानीय शासन को मज़बूत किया गया।

- **EVMs की शुरूआत:** मतदान प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करने और चुनावी धोखाधड़ी को कम करने के लिए, भारतीय चुनावों में EVMs की शुरुआत की गई।

- **चुनाव व्यय की सीमा:** उम्मीदवारों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए चुनाव व्यय पर सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

- **नोटा (इनमें से कोई नहीं) का प्रावधान:** 2013 में प्रारंभ किया गया, नोटा विकल्प मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति प्रदान करता है, अगर उन्हें कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगता।

- **व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP):** यह मतदाता शिक्षा और चुनावों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ECI का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

- **एक राष्ट्र, एक चुनाव:** यह लागत और शासन संबंधी व्यवधानों को कम करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन करता है।

- **परिसीमन अभ्यास:** नई जनसंख्या डेटा के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने की योजना का उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

प्रस्तावित चुनाव सुधार

- **राजनीति का अपराधीकरण समाप्त करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने की आवश्यकता पर बार-बार बल दिया है।

> **Article 324 of the Constitution**
> - It provides that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Parliament and State legislature shall be vested in the EC.

  - गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना और राजनेताओं के विरुद्ध मामलों की त्वरित सुनवाई से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ सकती है।

- **राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता:** चुनावों के लिए राज्य द्वारा फंडिंग और दान के अनिवार्य प्रकटीकरण जैसे उपायों को लागू करने से धन-शक्ति का प्रभाव कम हो सकता है।

- **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली:** FPTP प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मॉडल से बदलने या संशोधित करने से विविध राजनीतिक विचारधाराओं का अधिक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है।

  - यह प्रमुख दलों के एकाधिकार को कम करने और चुनावों को अधिक समावेशी बनाने में सहायता कर सकता है।

- **भारत के चुनाव आयोग (ECI) को मजबूत बनाना:** चुनाव आयोग को चुनावी कदाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिक स्वायत्तता और कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए।

  - चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी और राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होनी चाहिए।

- **मतदाता सत्यापन को मजबूत करना:** आधार को मतदाता पहचान-पत्रों से जोड़ना, गोपनीयता संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को समाप्त करने और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है।

- **राजनीतिक दलों में अनिवार्य आंतरिक लोकतंत्र:** राजनीतिक दलों के अन्दर लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।
  - नए और गतिशील नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए पार्टियों के अन्दर नियमित चुनाव और नेतृत्व पदों के लिए कार्यकाल सीमा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **EVM और VVPAT सिस्टम में सुधार:** यादृच्छिक ऑडिट आयोजित करना और VVPAT सत्यापन के लिए नमूना आकार बढ़ाना मतदान प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ा सकता है।
- **अभियान प्रथाओं को विनियमित करना:** अभद्र भाषा, गलत सूचना एवं अनैतिक प्रथाओं के लिए सख्त दंड लागू करना निष्पक्ष और मुद्दा-आधारित अभियान को बढ़ावा दे सकता है।
- **एक राष्ट्र, एक चुनाव:** संघवाद और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।

सिफारिशें: समितियाँ और आयोग

- **दिनेश गोस्वामी समिति (1990):** चुनाव व्यय, मतदाता पहचान पत्र और पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग पर।
- **इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998):** चुनावों के लिए राज्य द्वारा फंडिंग का समर्थन किया।
- **वोहरा समिति (1993):** भारत में राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों, राजनेताओं एवं नौकरशाहों के बीच सांठगांठ।
  - CBI, IB, RAW सहित एजेंसियों ने सर्वसम्मति से अपनी राय व्यक्त की थी कि आपराधिक नेटवर्क वस्तुतः एक समानांतर सरकार चला रहा है।
- **भारत के विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट:** इसमें कहा गया है कि 2004 के बाद से 10 वर्षों में, राष्ट्रीय या राज्य चुनाव लड़ने वाले 18% उम्मीदवारों के विरुद्ध आपराधिक मामले (व्यापक आपराधिक पृष्ठभूमि) थे।
- **राम नाथ कोविंद पैनल:** इसने एक नया अनुच्छेद 82A और अनुच्छेद 327 में संशोधन सहित 15 संशोधनों का सुझाव दिया।
  - इसका समर्थन चुनाव आयोग ने 1983 में ही कर दिया था।
- **टीएस कृष्णमूर्ति:** इसने चुनाव फंडिंग के विकल्प के रूप में 'राष्ट्रीय चुनाव कोष' का सुझाव दिया है।

निष्कर्ष

- भारत के लोकतांत्रिक संरचना की रक्षा के लिए चुनाव सुधार न केवल आवश्यक हैं, बल्कि अत्यावश्यक भी हैं।
- प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करके तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता सुनिश्चित करके, ये सुधार चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत कर सकते हैं।
- वास्तविक प्रतिनिधि लोकतंत्र के सपने को साकार करने के लिए चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक है।

Source: TH

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी

समाचार में

- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) प्रमुख इंफोसिस भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अवसरों पर नजर टिकाए हुए है और उसने उपग्रहों के निर्माण एवं प्रक्षेपण के लिए एक दावेदार के रूप में अपना नाम आगे किया है।

परिचय

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र पर पारंपरिक रूप से इसरो का दबदबा रहा है, लेकिन हाल के नीतिगत बदलावों से यह क्षेत्र निजी उद्यमों और स्टार्टअप के लिए खुल रहा है।
- भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आगामी पाँच वर्षों में 48% CAGR से बढ़कर $50 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
- भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, निजी निवेश को आकर्षित करना,

आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करना है।

- IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है, जो निजी उद्यमों को उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं और यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष मिशनों में भाग लेने में सक्षम बनाता है।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण क्यों आवश्यक है?

- **अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं की बढ़ती मांग:** भारत का अंतरिक्ष उद्योग तीव्रता से बढ़ रहा है, उपग्रह-आधारित सेवाओं की मांग इसरो की क्षमता से अधिक है।
  - उपग्रह संचार, रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक खुफिया जानकारी की माँग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है।
- **आयात निर्भरता कम करना:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आयात लागत उसके निर्यात (2022-23) से 12 गुना अधिक है। प्रमुख आयातित वस्तुओं में उच्च शक्ति वाले कार्बन फाइबर, अंतरिक्ष-योग्य सौर सेल और इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल हैं।
  - निजी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से स्वदेशी अंतरिक्ष-ग्रेड सामग्री विकसित करने में मदद मिल सकती है।
- **इसरो को मुख्य मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र करना:** निजीकरण इसरो को अंतरग्रहीय मिशनों, अंतरिक्ष अनुसंधान और राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।
  - निजी खिलाड़ी वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के परिचालन पहलुओं को अपने हाथ में ले सकते हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना:** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए निजी उद्यमों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है।
  - स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और एरियनस्पेस जैसी कंपनियों ने अंतरिक्ष व्यावसायीकरण को बदल दिया है।
  - भारत की निजी अंतरिक्ष फर्मों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और 450 बिलियन डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए विकसित होना चाहिए।
- **भारत की मानव पूँजी का उपयोग:** भारत प्रत्येक वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियर तैयार करता है।
  - भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 48% CAGR से बढ़ने और 2028 तक 50 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।
- **जोखिम साझा करना:** अंतरिक्ष अन्वेषण में उच्च लागत और जोखिम शामिल हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) लागत वितरित कर सकती है, जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव कम हो सकता है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण में प्रमुख सुधार

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** निजी फर्मों को उपग्रह प्रक्षेपण, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्वेषण में संलग्न होने की अनुमति देती है।
- **IN-SPACe की स्थापना:** निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
  - निजी खिलाड़ियों को इसरो की प्रक्षेपण सुविधाओं, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों तथा उपग्रह डेटा तक पहुँच प्रदान करती है।
- **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का निर्माण:** यह इसरो के वाणिज्यिक संचालन, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण और ट्रांसपोंडर लीजिंग को संभालता है।
  - निजी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से इसरो की प्रौद्योगिकियों के मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **FDI नीति सुधार:** उपग्रह निर्माण और संचालन में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।

- लॉन्च वाहनों, स्पेसपोर्ट और संबंधित प्रणालियों में 49% FDI की अनुमति है।

- **अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन:** भारत में 200 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं, जो प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह सेवाएं और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का विकास कर रहे हैं।
  - **विक्रम-एस रॉकेट:** भारत का प्रथम निजी रॉकेट, जिसे स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया।
  - **अग्निकुल कॉसमॉस:** विश्व का प्रथम 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन विकसित किया।
  - **वनवेब इंडिया:** सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए IN-SPACe द्वारा स्वीकृत पहली कंपनी।
- **वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना:** भारतीय कंपनियाँ ज्ञान साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों और निगमों के साथ साझेदारी कर सकती हैं।
  - **उदाहरण:** संयुक्त चंद्र और मंगल मिशन के लिए नासा और JAXA के साथ इसरो का सहयोग।
  - **अटल टिंकरिंग लैब (ATL) स्पेस चैलेंज:** अंतरिक्ष नवाचार में स्कूली छात्रों को प्रोत्साहित करता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी में चुनौतियाँ और चिंताएं

- **विनियामक और कानूनी खामियाँ:** निजी क्षेत्र के संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई समर्पित अंतरिक्ष कानून नहीं है।
  - विनियमों की बहुलता (इसरो, DoS, NSIL, एंट्रिक्स, IN-SPACe) नौकरशाही बाधाओं का कारण बनती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम:** निजी भागीदारी में वृद्धि के कारण संवेदनशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जोखिम।
  - उपग्रह डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त साइबर सुरक्षा नीतियों की आवश्यकता है।
- **बौद्धिक संपदा (IP) मुद्दे:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए स्पष्ट IP कानूनों की कमी निजी अनुसंधान और विकास को हतोत्साहित कर सकती है।
  - निजी फर्मों को प्रौद्योगिकी रिसाव या इसरो के अनुसंधान के दुरुपयोग का भय है।
- **वित्त पोषण और निवेश बाधाएँ:** अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए उच्च पूँजी निवेश और लंबी ऊष्मायन अवधि की आवश्यकता होती है।
  - निजी निवेशक 5G और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में अल्पकालिक लाभ पसंद करते हैं।
- **सरकारी बुनियादी ढाँचे पर निर्भरता:** निजी फर्म इसरो की लॉन्च सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और ग्राउंड स्टेशनों पर निर्भर हैं।
  - निजी बुनियादी ढाँचे को विकसित करने की उच्च लागत स्वतंत्र विकास में बाधा डालती है।
- **बाजार संतृप्ति और प्रतिस्पर्धा:** क्षेत्र में बहुत अधिक खिलाड़ियों के प्रवेश से अस्थिरता हो सकती है।
  - छोटे स्टार्टअप को बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करना पड़ सकता है।
- **पर्यावरण और अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे:** उपग्रह प्रक्षेपणों में वृद्धि से अंतरिक्ष मलबे की समस्याएँ और भी बदतर हो सकती हैं।
  - उपग्रहों की डीऑर्बिटिंग और रीसाइकिलिंग को प्रबंधित करने के लिए स्थायी अंतरिक्ष नीतियों की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **अंतरिक्ष गतिविधियाँ अधिनियम का अधिनियमन:** निजी क्षेत्र की भूमिकाएँ, दायित्व ढाँचे और निवेश नीतियाँ परिभाषित करना।
- **स्वदेशी क्षमताओं का विकास:** प्रणोदन प्रणाली, AI-संचालित उपग्रह तकनीक और 3D-मुद्रित घटकों के घरेलू विनिर्माण में निवेश करना।
- **निजी प्रक्षेपण अवसंरचना का निर्माण:** इसरो पर निर्भरता कम करने के लिए निजी लॉन्चपैड और परीक्षण केंद्रों को प्रोत्साहित करना।

Source: BL

इसरो ने SpaDeX सैटेलाइट को डॉक किया

समाचार में

- इसरो द्वारा दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने के लगभग दो महीने बाद, हाल ही में अनडॉकिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- इससे भारत, अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया है।
- इस क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए, इसरो ने 30 दिसंबर, 2024 को प्रायोगिक स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया।

स्पेस डॉकिंग क्या है?

- स्पेस डॉकिंग दो तेज़ गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाने, धीरे-धीरे उन्हें करीब लाने और उन्हें शारीरिक रूप से एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है।
- यह एक अत्यधिक जटिल कार्य है जिसके लिए सटीक नेविगेशन, स्वचालित नियंत्रण और वास्तविक समय समायोजन की आवश्यकता होती है।

यह महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- **भारी अंतरिक्ष मिशनों को सक्षम बनाना:** वजन की सीमाओं के कारण बड़े अंतरिक्ष यान को एक बार में लॉन्च नहीं किया जा सकता है।
  - डॉकिंग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के समान कक्षा में मॉड्यूलर अंतरिक्ष यान असेंबली की अनुमति मिलती है।
- **भविष्य के मानव अंतरिक्ष यान के लिए महत्त्वपूर्ण:** 2035 तक भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों और आपूर्ति को ले जाने के लिए आवश्यक।
  - गगनयान और भविष्य के चंद्र मिशनों के अंतर्गत भारत के चालक दल के चंद्र मिशन (2040 तक) के लिए महत्त्वपूर्ण।
- **चंद्र नमूना वापसी मिशनों का समर्थन करता है:** चंद्रयान-4, चंद्रमा की मृदा और चट्टान के नमूने वापस लाने के लिए भारत का भविष्य का मिशन, डॉकिंग तकनीक पर निर्भर करेगा।
- **अंतरिक्ष में सर्विसिंग और रोबोटिक्स को आगे बढ़ाना:** नए उपग्रहों को लॉन्च किए बिना कक्षा में उपग्रहों की मरम्मत, उन्नयन और ईंधन भरने में सक्षम बनाता है।

भारत के अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग (SpaDeX) के बारे में

- **उद्देश्य:** अंतरिक्ष में डॉकिंग, मुलाकात और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना।
- **उपयोग किए गए उपग्रह:**
  - **SDX01 (चेज़र सैटेलाइट):** सक्रिय रूप से लक्ष्य के पास पहुँचा और डॉक किया गया।
  - **SDX02 (लक्ष्य सैटेलाइट):** डॉकिंग मॉड्यूल के रूप में कार्य किया।
- **प्रक्षेपण वाहन:** PSLV-C60
- **कक्षा:** 470 किमी वृत्ताकार कक्षा
- **विकसित:** UR राव सैटेलाइट सेंटर (URSC), बेंगलुरु, अन्य ISRO केंद्रों के समर्थन से।

डॉकिंग के बाद के अनुप्रयोग

- **हाई-रेज़ोल्यूशन इमेजिंग (SDX01):** पृथ्वी अवलोकन छवियों को कैप्चर करना।
- **मल्टी-स्पेक्ट्रल पेलोड (SDX02):** प्राकृतिक संसाधनों और वनस्पति की निगरानी करना।
- **रेडिएशन मॉनिटरिंग (SDX02):** भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन करने के लिए अंतरिक्ष विकिरण का अध्ययन करना।

Source: IE

भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोग बढ़ाने पर सहमत

समाचार में

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में अपनी 9वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की।

हाल की बैठक के मुख्य परिणाम

- **समुद्री सुरक्षा और अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि:** दोनों राष्ट्र समुद्री क्षेत्र में जागरूकता और पारस्परिक सूचना साझा करने तथा AUSINDEX और मालाबार जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों को मजबूत करने में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
- **रक्षा उद्योग और विज्ञान-प्रौद्योगिकी सहयोग:** दोनों पक्षों ने रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह-विकास और सैन्य हार्डवेयर के सह-उत्पादन तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर चर्चा की।
- **द्विपक्षीय संबंधों से परे रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना:** क्षेत्रीय और बहुपक्षीय ढाँचे के साथ संरेखण, जिसमें शामिल हैं:
  - **क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA)** – इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करना।
  - **आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM-प्लस)** – क्षेत्रीय सुरक्षा संवादों का विस्तार करना।
  - **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** – समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी का महत्त्व

- **रक्षा भागीदारी:** 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदार बनने के बाद से ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। प्रमुख माइलस्टोन में पारस्परिक रसद सहायता समझौता (2021) शामिल है।
- **इंडो-पैसिफिक सुरक्षा और समुद्री रणनीति:** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखरता सहित बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों समुद्री शक्तियाँ, क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं।
- **उभरते खतरों का मुकाबला करना:** साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा और हाइब्रिड युद्ध की रणनीति प्रमुख चिंताएँ बन गई हैं।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचारों पर सहयोग कर रहे हैं।
- **रक्षा व्यापार और उद्योग सहयोग का विस्तार:** भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल ऑस्ट्रेलिया की रक्षा उद्योग विकास रणनीति के साथ संरेखित है, जिससे निम्नलिखित क्षेत्रों में आपसी निवेश की अनुमति मिलती है:
  - मिसाइल सिस्टम और रडार तकनीक
  - मानव रहित हवाई और नौसैनिक प्लेटफॉर्म
  - संयुक्त जहाज निर्माण परियोजनाएँ
- **रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करना और रक्षा संबंधों में विविधता लाना:** भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती रक्षा साझेदारी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पारंपरिक सहयोगियों पर उसकी निर्भरता को कम करती है।
  - भारत को इंडो-पैसिफिक गठबंधनों से लाभ मिलता है, जो अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ उसके संबंधों को पूरक बनाता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में चुनौतियाँ

- **रक्षा खरीद और औद्योगिक क्षमताओं को संरेखित करना:** ऑस्ट्रेलिया का रक्षा उद्योग ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं (USA, UK) के साथ अधिक संरेखित रहा है, जिससे भारत के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- **नौकरशाही और नीतिगत बाधाएँ:** रक्षा सहयोग को संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं एवं सैन्य रसद समझौतों के लिए तेज़ मंज़ूरी की आवश्यकता है।
  - सैन्य सिद्धांतों और रणनीतिक प्राथमिकताओं में अंतर के लिए मजबूत नीति समन्वय की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय भू-राजनीतिक जटिलताओं को नेविगेट करना:** चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन - ऑस्ट्रेलिया की चीन पर विगत आर्थिक निर्भरता भारत के साथ अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति को पूरी तरह से संरेखित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध विषयगत सर्किट

संदर्भ

- पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन (SD) योजना और तीर्थयात्रा पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (PRASHAD) योजना के माध्यम से भारत में बौद्ध पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

परिचय

- बौद्ध सर्किट को स्वदेश दर्शन के अंतर्गत विकास के लिए विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में पहचाना गया है।
- पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन (ABS) अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC), नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें एशियाई देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया।

बौद्ध पर्यटन और विकास पहल

- **स्वदेश दर्शन योजना (SD)**
  - **प्रारंभ:** 2014-15.
  - **उद्देश्य:** पूरे भारत में विषयगत पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास।
  - **बौद्ध सर्किट:** इस योजना के अंतर्गत विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - **वित्तपोषण:** बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **PRASHAD योजना (तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान)**
  - **प्रारंभ:** 2014-15.
  - **उद्देश्य:** धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीर्थयात्रा और विरासत स्थलों का विकास।
  - **बौद्ध स्थलों पर ध्यान:** महत्त्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों पर कनेक्टिविटी, सुविधाओं और आध्यात्मिक पर्यटन अनुभवों को बढ़ाता है।
- **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षण प्रयास**
  - **अधिकार:** बौद्ध स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण करना।
  - **कार्यवाही:**
    - संरक्षित बौद्ध स्थलों का संरक्षण।
    - शौचालय, पेयजल, पार्किंग, रास्ते, साइनेज, बेंच, रैंप और व्हीलचेयर जैसी आगंतुक सुविधाओं का विकास।

भारत में प्रमुख बौद्ध स्थल विकासाधीन

- **लुंबिनी (नेपाल):** बुद्ध का जन्मस्थान (भारतीय बौद्ध स्थलों से जुड़ा हुआ)।
- **बोधगया (बिहार):** बुद्ध का ज्ञानोदय स्थल।
- **सारनाथ (उत्तर प्रदेश):** प्रथम उपदेश.
- **कुशीनगर (उत्तर प्रदेश):** बुद्ध का महापरिनिर्वाण.
- **राजगीर और नालंदा (बिहार):** बौद्ध शिक्षण केंद्र।
- **सांची (मध्य प्रदेश):** स्तूप और स्मारक।

बौद्ध पर्यटन विकास का महत्त्व

- **भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देता है:** वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बौद्ध विरासत को मजबूत करता है।
- **धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ाता है:** बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार से।
- **आर्थिक लाभ:** पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार, राजस्व और बुनियादी ढाँचे का विकास होता है।
- **विरासत को संरक्षित करता है:** प्राचीन बौद्ध स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करता है।

Source: PIB

भिवंडी में पहला छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर

समाचार में

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने ठाणे के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन किया।

मंदिर के बारे में

- मंदिर का डिज़ाइन वास्तुकार विजयकुमार पाटिल ने बनाया है और यह 2,500 वर्ग फ़ीट में फैला है, जिसकी 5,000 वर्ग फ़ीट की सीमा किले जैसी है।
- इसमें शिवाजी महाराज की 6.5 फ़ीट की मूर्ति है, जिसे अरुण योगीराज ने गढ़ा है, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति भी गढ़ी थी।
- मंदिर के डिज़ाइन में किले के तत्व शामिल हैं, जिसमें 42 फ़ीट का प्रवेश द्वार, बुर्ज और निगरानी मार्ग शामिल हैं।
- सीमा के अंदर, 36 खंडों में शिवाजी महाराज के जीवन के महत्त्वपूर्ण क्षणों की मूर्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज

- शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी में हुआ था।
- मराठा शक्ति के उदय में वे प्रमुख व्यक्ति थे।
- उन्हें एक दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है, जो अपनी ईमानदारी, धार्मिक सहिष्णुता, देशभक्ति और जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने जाते हैं।
- शिवाजी का शासन हिंदू स्वशासन (हिंदवी स्वराज्य) और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर केंद्रित था।
- "अष्टप्रधान" मंत्रिपरिषद के गठन सहित उनके प्रशासनिक नवाचार प्राचीन हिंदू राजनीतिक अवधारणाओं पर आधारित थे।
- उन्होंने वंशानुगत कार्यालयों को समाप्त कर दिया और बिचौलियों को नियंत्रण में रखकर किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया।

Source :IE

भारत में सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण

सन्दर्भ में

- राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन (NMMA) का उद्देश्य एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है, जिससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

परिचय

- भारत मूर्त विरासत के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक के स्मारक, स्थल और पुरावशेष शामिल हैं।
- हालांकि ASI, राज्य पुरातत्व विभाग और INTACH जैसे विभिन्न संगठनों ने इस विरासत के कुछ हिस्सों का दस्तावेजीकरण किया है, लेकिन बहुत कुछ बिखरा हुआ या अलिखित है। एकीकृत डेटाबेस की अनुपस्थिति अनुसंधान, संरक्षण और प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती है।

राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन (NMMA)

- 2007 में स्थापित, NMMA भारत की निर्मित विरासत और पुरावशेषों के डिजिटलीकरण और दस्तावेज़ीकरण के लिए ज़िम्मेदार है।
- **बजट आवंटन:** वित्त वर्ष 2024-25 में NMMA के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए।
- **उद्देश्य:** बेहतर प्रबंधन और अनुसंधान के लिए निर्मित विरासत, स्मारकों और पुरावशेषों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उसका दस्तावेज़ीकरण करना।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य विभागों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना।

प्राचीन स्मारक क्या है?

- AMASR अधिनियम 1958 के अनुसार, "प्राचीन स्मारक" का तात्पर्य किसी भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या किसी टीले या दफनाने के स्थान, या किसी गुफा, चट्टान की मूर्ति, शिलालेख, या एकाश्म से है, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक, या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में है।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958

- इसे संसद द्वारा इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था कि "प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों का संरक्षण किया जा सके, पुरातात्विक उत्खननों का विनियमन किया जा सके तथा मूर्तियों, नक्काशी तथा अन्य ऐसी ही वस्तुओं का संरक्षण किया जा सके।"

विरासत संरक्षण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका

- 3डी स्कैनिंग और फोटोग्रामेट्री प्राचीन संरचनाओं और कलाकृतियों के सटीक डिजिटल मॉडल बनाती है। यह उम्र बढ़ने, पर्यावरणीय क्षति या आपदाओं के कारण होने वाली हानि को रोकता है।
  - **उदाहरण :** अजंता की गुफाओं और हम्पी को संरक्षण के लिए डिजिटल रूप से मैप किया गया है।
- AI-आधारित बहाली तकनीक ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों का पुनर्निर्माण करती है।
  - **उदाहरण:** नालंदा विश्वविद्यालय और हम्पी के विरुपाक्ष मंदिर का वस्तुतः पुनर्निर्माण किया गया है।
- AI एल्गोरिदम ऐतिहासिक शोध के लिए प्राचीन लिपियों, चित्रों और कलाकृतियों का विश्लेषण करते हैं।
  - **उदाहरण:** बख्शाली पांडुलिपि (शून्य का सबसे पुराना रिकॉर्ड किया गया उपयोग) को अध्ययन के लिए डिजिटल रूप से बढ़ाया गया था।

Source: PIB

केसर

समाचार में

- भारत ने मिशन सैफरन पहल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के पंपोर के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र को अगले केसर उत्पादन केंद्र के रूप में पहचाना है।

मिशन केसर पहल

- **लॉन्च:** 2010-11 (शुरुआत में जम्मू और कश्मीर के लिए)।
- **उद्देश्य:** वित्तीय, तकनीकी और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करके केसर की खेती को बढ़ावा देना।
- **विस्तार:** 2021 से, इसे NECTAR द्वारा "केसर बाउल परियोजना" के तहत पूर्वोत्तर (सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय) तक विस्तारित किया गया है।
  - उत्तर पूर्व को अपनी उपयुक्त कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण केसर की खेती के लिए एक संभावित विकल्प के रूप में देखा जाता है।
  - केसर की खेती का विस्तार बेहतर आपूर्ति और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करता है।

केसर की खेती के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** क्रोकस सैटिवस (केसर क्रोकस)।
- **उपयोग किया जाने वाला भाग:** फूल का कली, जिसे केसर बनाने के लिए सुखाया जाता है।
- **बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ:**
  - **ऊँचाई:** समुद्र तल से 2,000 मीटर ऊपर।
  - **मृदा का प्रकार:** दोमट, रेतीली या चूनायुक्त मृदा जिसका pH 6-8 हो।
  - **जलवायु:**
    - **गर्मियों का तापमान:** 40°C से नीचे।
    - **सर्दियों का तापमान:** -20°C जितना कम।
  - अच्छी जल निकासी वाली मृदा के साथ शुष्क से मध्यम जलवायु की आवश्यकता होती है।
- **वर्तमान उत्पादन:**
  - कश्मीर केसर (पंपोर, पुलवामा और बडगाम में उगाया जाता है) को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त है।
  - भारत का केसर उत्पादन वर्तमान में सीमित है, जिससे मांग को पूरा करने के लिए आयात करना आवश्यक हो गया है।

उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुँच केंद्र (NECTAR)

- **स्थापना:** 2014.
- **शासी निकाय:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान।

- **कार्य:**
  - पूर्वोत्तर में कृषि, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को बढ़ावा देना।
  - क्षेत्र में केसर बाउल परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी।

Source: PIB

पुनर्बीमा(Reinsurance)

समाचार में

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने प्रथम निजी पुनर्बीमा कंपनी, वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस को मंजूरी दे दी है।

पुनर्बीमा क्या है?

- **परिभाषा:** पुनर्बीमा एक जोखिम प्रबंधन तंत्र है, जहाँ एक बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी अन्य बीमा कंपनी को हस्तांतरित करती है, जिसे पुनर्बीमाकर्ता कहा जाता है।
  - इससे बीमाकर्ताओं को प्राकृतिक आपदाओं या बड़ी दुर्घटनाओं जैसे बड़े दावों से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करने में सहायता मिलती है।
- बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के तहत IRDAI द्वारा विनियमित।
- **महत्त्व:** बड़े भुगतान, जोखिम विविधीकरण के कारण बीमाकर्ताओं को दिवालियापन से बचाता है और बाजार के विकास को बढ़ावा देता है।

Source: BS

भारत का वस्तु व्यापार घाटा

संदर्भ

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का वस्तु व्यापार घाटा 42 महीने के निचले स्तर पर पहुँच गया है, जो फरवरी 2025 में 14.05 बिलियन डॉलर पर पहुँच जाएगा।

गिरावट के पीछे प्रमुख कारक

- **सोने और चांदी के आयात में कमी:** सोने और चांदी का आयात घटकर 2.7 बिलियन डॉलर रह गया, जो जून 2024 के बाद सबसे कम है।

- **कच्चे तेल का आयात कम:** कच्चे तेल का आयात 11.89 बिलियन डॉलर का हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30% की कमी दर्शाता है।

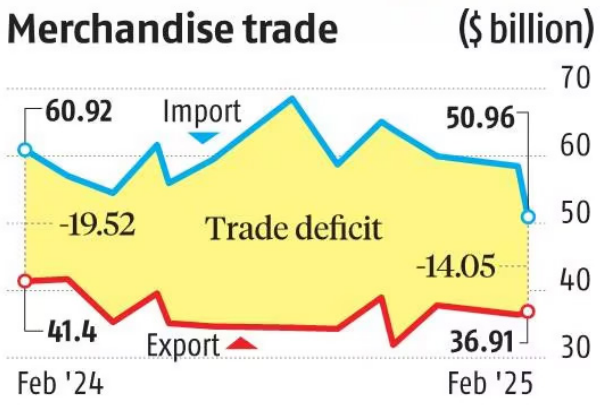

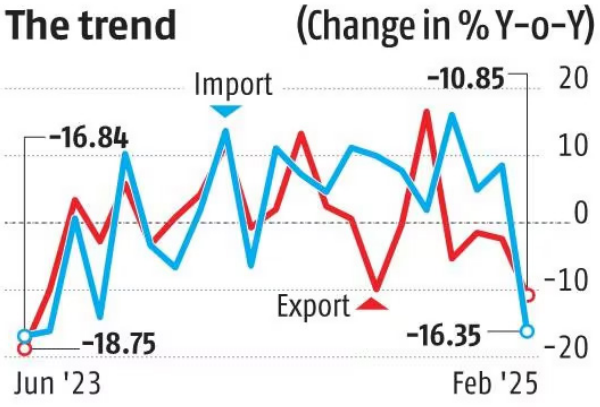

Source: Department of Commerce

  - इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और घरेलू मांग में कमी से है।

- **कुल आयात संकुचन:** कुल आयात 22 महीने के निचले स्तर $50.9 बिलियन पर आ गया, जो साल-दर-साल 16.3% की गिरावट दर्शाता है।
  - यह मोती, कीमती पत्थरों और कोयले सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **मजबूत व्यापार स्थिति:** व्यापार घाटे में कमी से बेहतर व्यापार प्रबंधन और आयात पर निर्भरता में कमी का पता चलता है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता को बल मिलता है।
- **मुद्रा स्थिरता:** कम व्यापार घाटा भारतीय रुपये पर दबाव को कम कर सकता है, जिससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मुद्रा स्थिरता में योगदान मिलता है।
- **नीतिगत निहितार्थ:** डेटा आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

Source: TH

गेहूँ उत्पादन चक्र पर हीट वेव का प्रभाव

समाचार में

- भारत में 124 वर्षों में सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा तथा मार्च में भी सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका है, जो गेहूँ की कटाई के मौसम के साथ सामंजस्य खाता है।

भारत में गेहूँ उत्पादन

- गेहूँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में उगाई जाने वाली रबी की फसल है।
- अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाने वाली गेहूँ की फसल फरवरी से अप्रैल तक काटी जाती है।
- किसानों की खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूँ महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि फसल का एक हिस्सा घरेलू खपत के लिए रखा जाता है।
- रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य रखने के बावजूद सरकार ने 2025-26 के लिए 30 मिलियन टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा है।

नवीनतम रिपोर्ट

- हिंद महासागर के गर्म होने से लंबे समय तक हीट वेव चल सकती हैं और भारत के मानसून पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिससे रबी की फसल के मौसम में देरी हो सकती है।
- गेहूँ की देरी से बुवाई के परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण विकास चरणों के साथ हीट वेवओवरलैप हो सकती हैं, जिससे उपज पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

गेहूँ उत्पादन चक्र पर हीट वेव्स का प्रभाव

- गर्मी के कारण फूल जल्दी आते हैं, पकने की प्रक्रिया तेज़ होती है, और अनाज का आकार और स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है, जिससे गेहूँ की उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है।
- उच्च तापमान के कारण अनाज में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन स्टार्च कम हो जाता है, जिससे वे सख्त हो जाते हैं और मिलिंग की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे बाज़ार में कीमतें कम हो सकती हैं।
- कम पैदावार के जवाब में किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे संसाधनों का अकुशल उपयोग हो सकता है।

सुझाव

- जलवायु-प्रतिरोधी गेहूँ की किस्में, बेहतर कृषि प्रबंधन और समय पर बुवाई से गर्मी के तनाव के प्रभावों को कम किया जा सकता है।
- दीर्घकालिक समाधानों में बेहतर कृषि पद्धतियाँ, मौसम की निगरानी और गर्मी प्रतिरोधी किस्मों का समर्थन करने वाली नीतियाँ शामिल होनी चाहिए।

Source: TH

जल की बूंदों में 'माइक्रोलाइटनिंग'

समाचार में

- एक नए अध्ययन के अनुसार, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे झरनों या लहरों के टकराने से प्रभावित हुई होगी।

हालिया अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- अध्ययन में पाया गया कि जब विपरीत रूप से आवेशित जल की बूंदें पास आती हैं तो "माइक्रोलाइटनिंग" या छोटी-छोटी चिंगारियाँ बनती हैं और वे हाइड्रोजन साइनाइड, ग्लाइसिन और यूरैसिल जैसे कार्बनिक यौगिक उत्पन्न कर सकती हैं।
- अध्ययन से पता चलता है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर, लहरों या झरनों से होने वाले सर्वव्यापी जल के छींटे आवश्यक कार्बनिक अणुओं का उत्पादन कर सकते थे, जो संभावित रूप से मिलर-यूरे परिकल्पना से जुड़ी चुनौतियों पर नियंत्रण पा सकते थे।

मिलर-उरे परिकल्पना

- इसे 1952 में स्टेनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने प्रस्तावित किया था।
- उन्होंने प्रदर्शित किया कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक तब बन सकते हैं जब बिजली (जैसे विद्युत) जल और मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों के मिश्रण के साथ परस्पर क्रिया करती है।
- लेकिन उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि बिजली को समुद्री वातावरण में दुर्लभ और अप्रभावी माना जाता था।

Source: IE

पाई (π) दिवस

संदर्भ

- प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को विश्व पाई दिवस मनाता है, जो गणितीय स्थिरांक π (पाई) के लिए एक श्रद्धांजलि है।
- दिनांक (3/14) पाई के प्रथम तीन अंकों यानी 3.14 को दर्शाता है।

पाई (π) के बारे में

- पाई (π) एक गणितीय स्थिरांक है जो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है।
- यह एक अपरिमेय संख्या है, जिसका अर्थ है कि इसे परिमित अंश या समाप्ति दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
- पाई लगभग 3.14159 के बराबर है, लेकिन इसका दशमलव प्रतिनिधित्व बिना किसी दोहराव या पैटर्न के अनंत तक जारी रहता है।
- पाई को प्राचीन काल से जाना जाता है और यह ज्यामिति, त्रिकोणमिति, भौतिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पाई दिवस क्यों मनाया जाता है?

- **गणितीय महत्त्व:** पाई का उपयोग वृत्तों, तरंगों और कई प्राकृतिक घटनाओं के सूत्रों में किया जाता है।
- **STEM शिक्षा को बढ़ावा देना:** पाई दिवस विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में रुचि को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में कार्य करता है।
- **ऐतिहासिक संयोग:** पाई दिवस अल्बर्ट आइंस्टीन (14 मार्च, 1879) की जयंती के साथ सामंजस्य खाता है।

Source: TH